I

अनुमोदन हेतु प्रारूप
बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–31 / 2014– 154 आवंटन / कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014–15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के लिए सहायक अनुदान मद में 14.00 लाख रूपये (चौदह लाख रूपये) में से सामान्य के लिए 9.52 लाख रूपये (नौ लाख बावन हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 9,52,000 (नौ लाख बावन हजार रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–4793 दिनांक–17.10.2014 द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014–15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के लिए सहायक अनुदान मद में 14.00 लाख रूपये (चौदह लाख रूपये) में से सामान्य के लिए 9.52 लाख रूपये (नौ लाख बावन हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है।. स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹9,52,000 (नौ लाख बावन हजार रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹9,52,000 (नौ लाख बावन हजार रूपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उप मुख्यशीर्ष–01 –फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष –277–शिक्षा, मांग सं०–1– उप शीर्ष–0101– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड–P2415012770101, राज्य योजना स्कीम कोड –AGR-5039 में वर्ष 2014–15 में विषयशीर्ष –3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में कुल उपबंधित 79,52,000 रूपये (उनासी लाख बावन हजार रूपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561वि0(2) दिनांक–17.04.98 आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तों / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन
28/10/14
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 154 आवंटन / कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\year -2014\21 04.2014 R.doc